न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 64 / 2025

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
खींयाराम पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी वैरडी, हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जिला रसद अधिकारी बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध आदेश क्रमांक 823 दिनांक 14.11.2025 द्वारा जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री उगराराम सहारण, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 21.01.2026

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 823 दिनांक 14.11.2025 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उतरदाता द्वारा बाड़मेर जिले में कुल 58 रिक्त / नवसृजित दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों / संस्थाओ से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमिन आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। जिसमें अपीलांट के ग्राम हाथला ब्लॉक फागलिया तहसील सेड़वा अनारक्षित हेतु भी विज्ञप्ति जारी की गई थी। अपीलांट [illegible] वेदक द्वारा आवेदन उतरदाता के समक्ष पेश किया गया [illegible] बाद जांच अन्य आवेदन में अनियमितता पाई जाने जाने पर प्रारम्भिक [illegible] पर खारिज कर दिय[illegible] पर मात्र आवेदन अपीलांट का शेष रहा जो सही व विधिसम्मत था। जिस कारण उतरदाता द्वारा अपीलांट का उचित मूल्य दुकान हाथला के लिये चयन किया

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जाना विधिसम्मत था परन्तु अपीलांट के आवेदन पर किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। इस प्रकार उतरदाता संख्या द्वारा अपीलार्थी को ग्राम हाथला तहसील सेड़वा के लिये उचित मूल्य दुकान हेतु पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 02/2025 दिनांक 13.06.2025 के अनुसार चयन किया जाकर एवं क्रम संख्या 33 ग्राम हाथला तहसील सेड़वा में विज्ञप्ति संख्या 03/2025 दिनांक 14.11.2025 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे। उक्त विज्ञप्ति से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई। अपील के संलग्न स्थगन प्रार्थना–पत्र मय प्रस्तुत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर कर उत्तरदाता को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट किया कि ग्राम हाथला ब्लॉक फागलिया तहसील सेड़वा अनारक्षित हेतु उचित मूल्य दुकान के लिए अपीलांट व अन्य आवेदक द्वारा आवेदन उतरदाता के समक्ष पेश किया गया जिस पर उतरदाता द्वारा बाद जांच अन्य आवेदन में अनियमितता पाई जाने जाने पर प्रारम्भिक स्टेज पर खारिज कर दिया जिस पर मात्र आवेदन अपीलांट का शेष रहा जो सही व विधिसम्मत था। जिस कारण उतरदाता द्वारा अपीलांट का उचित मूल्य दुकान हाथला के लिये चयन किया जाना विधिसम्मत था परन्तु अपीलांट के आवेदन पर किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। जबकि उचित मूल्य दुकान हाथला हेतु पूर्व में दिनांक 13.06.2025 को जारी विज्ञप्ति संख्या 02/2025 के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जा चुक है जिन आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा उक्त आवेदन के विचारधीन रहने के दौरान फिर से विज्ञप्ति जारी की गई जो विधिसम्मत नहीं होने से आदेश 823 दिनांक 14.11.2025 की विज्ञप्ति संख्या 03/2025 के क्रम संख्या 33 हाथला के संबंध में जारी विज्ञप्ति को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

5. हमने अपीलार्थी एवं अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उतरदाता द्वारा बाड़मेर जिले में ... उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमिन आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। जिसमें अपीलांट द्वारा उचित मूल्य दुकान

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

के क्रम संख्या 33 ग्राम हाथला तहसील सेड़वा में विज्ञप्ति संख्या 03/2025 दिनांक 14.11.2025 को निरस्त किये जाने के संबंध में यह अपील प्रस्तुत की गई। अपील के संलग्न स्थगन प्रार्थना–पत्र मय प्रस्तुत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि ग्राम हाथला ब्लॉक फागलिया तहसील सेड़वा अनारक्षित हेतु उचित मूल्य दुकान के लिए अपीलांट व अन्य आवेदक द्वारा आवेदन उतरदाता के समक्ष पेश किया गया जिस पर उतरदाता द्वारा बाद जांच अन्य आवेदन में अनियमितता पाई जाने जाने पर प्रारम्भिक स्टेज पर खारिज कर दिया जिस पर मात्र आवेदन अपीलांट का शेष रहा जो सही व विधिसम्मत था। जिस कारण उतरदाता द्वारा अपीलांट का उचित मूल्य दुकान हाथला के लिये चयन किया जाना विधिसम्मत था परन्तु अपीलांट के आवेदन पर किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। जबकि उचित मूल्य दुकान हाथला हेतु पूर्व में दिनांक 13.06.2025 को जारी विज्ञप्ति संख्या 02/2025 के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जा चुक है जिन आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा उक्त आवेदन के विचारधीन रहने के दौरान फिर से विज्ञप्ति जारी की गई जो विधिसम्मत नहीं होने से आदेश क्रमांक 823 दिनांक 14.11.2025 की विज्ञप्ति संख्या 03/2025 के क्रम संख्या 33 हाथला के संबंध में जारी विज्ञप्ति को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। हमने अपीलार्थी एवं अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिसमें पाया जाता है कि अपीलार्थी एवं अन्य आवेदक द्वारा ग्राम हाथला तहसील सेड़वा के लिये उचित मूल्य दुकान हेतु पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 02/2025 दिनांक 13.06.2025 में आवेदन उतरदाता के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उतरदाता द्वारा बाद जांच अन्य आवेदन में अनियमितता पाई जाने जाने पर प्रारम्भिक स्टेज पर खारिज कर दिया जिस पर मात्र आवेदन अपीलांट का शेष रहा। उतरदाता द्वारा अपीलांट का उचित मूल्य दुकान हाथला के लिये चयन किया जाना विधिसम्मत था परन्तु अपीलांट के आवेदन पर किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। इस प्रकार उतरदाता द्वारा दिनांक 14.11.2025 के आदेश क्रमांक प. 15(24)(6)/रसद/2025/823 के विज्ञप्ति 03/2025 के क्रम संख्या 33 हाथला के संबंध में जारी विज्ञप्ति जो विधि सम्मत नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमिन आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत ग्राम हाथला क्रम संख्या 33 अनारक्षित हेतु उतरदाता द्वारा जारी आदेश क्रमांक :प. 15(24)(6) / रसद / 2025 / 823 दिनांक 14.11.2025 को जारी विज्ञप्ति 03 / 2025 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विज्ञप्ति 02 / 2025 दिनांक 13.06.2025 के क्रम में अपीलार्थी के आवेदन का विधिसम्मत निस्तारण करें।

7. निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:49 IST
Reason: SelfAttested